# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**
**President**
Mob. No.- 9334118192

**Anil Kumar**
**General Secretary**
Mob. No.- 9431409463

**Vice President**
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

**Joint Secretary**
Subodh Kumar
7979919465

**Gopal Sharan**
8210342042

**Treasurer**
nil Kumar Tiwary
9431085120

**oint Treasurer**
Mona Jha
9430881025

Memo No 12 Date 3.2.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के नियम 24 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा में सम्पुष्टि की तिथि की भिन्नता होने की स्थिति में एक ही बैच के समकक्षीय पदाधिकारी का मूल वेतन अलग–अलग वेतन प्रक्रम पर निर्धारित कर वेतन पुर्जा निर्गत करने तथा संबंधितों को अविलम्ब नियमों के आलोक में त्रुटि मार्जित कर संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत करने का आदेश देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ज्ञातव्य हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतनवृद्धि का विनियमन Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के नियम 24 में सन्निहित हैं। Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 का **Rule 24** निम्न प्रकार है –

"***Regulation of Increments.-*** *An officer of the [Bihar] Civil Service (Executive Branch) or the [Bihar] Junior Civil Service will be entitled to draw his first increment one year after the date of his appointment to the Service, or on the date of passing the departmental examination in Law (Part I and II) and Hindi by the Lower Standard and in Accounts and Development, whichever be later. An officer who has rendered himself eligible to the first increment, will be entitled to draw the second increment on completion of two years of service. He will be entitled to the third increment on completion of three years of service, on confirmation and on submission of records of cases, whichever be later:*

*Provided that an officer appointed on a period of probation of four years will, on rendering himself eligible for the first and second increments, be entitled to the third increment on completion of three years of service,*

*and to the fourth increment on completion of four years of service, on confirmation and on submission of records of cases whichever be later:*

***Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time-scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the departmental examination or in his confirmation or in the submission of records of cases."***

इसी संदर्भ में संघ के समक्ष कई ऐसे दृष्टांत आए हैं जिसमें एक ही बैच के अलग–अलग पदाधिकारियों का, जिनके योगदान की तिथि तथा प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) प्राप्ति की तिथि समान है, वेतन पुर्जा अलग–अलग वेतन प्रक्रम पर निर्धारित कर निर्गत किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु श्री सुधीर कुमार एवं श्री अजीत कुमार सिंह को निर्गत वेतन पुर्जो की प्रति संलग्न है। सर्वश्री कुमार एवं सिंह 42 वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं तथा संलग्न वेतन पुर्जो के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.07.2019 को श्री कुमार का वेतन 83300/– तथा श्री सिंह का वेतन 85800/– निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में प्रभारी पदाधिकरी, वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर एक ही बैच के पदाधिकारियों के सेवा संपुष्टि की तिथि/वर्ष में भिन्नता के कारण वेतन प्रक्रम के निर्धारण में भिन्नता है। **यह तथ्य Departmental Examination of Gazatted Officers Rules, 1961 के नियम 24 के द्वितीय परंतुक में निहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।**

अतः संघ का अनुरोध है कि सरकार द्वारा संकल्पित नियम के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा दिए गए गलत परामर्श को अविलम्ब वापस लेते हुए Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के **नियम 24** के अनुरूप इस प्रकार के सभी मामलों में वेतन पुर्जा सुधार कर निर्गत करने हेतु अविलम्ब संबंधितों को निदेशित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं हो, इसके लिए अलग से संबंधित प्राधिकार को परिपत्र निर्गत कर मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

3/2/2020

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(अनिल कुमार)

...Standard and in Accounts and Development, ... (Part I and II) and Hindi by
officer who has rendered himself eligible ... whichever be later. An

बिहार सरकार (Govt. of Bihar)

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग (Finance (P.C.F.C.) Department)

| | |
|---|---|
| श्री अजीत कुमार सिंह<br>पदनाम:उप सचिव<br><br>पता:- अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार पटना<br><br>वेतन पुर्जा संख्या: 14101923021677    प्राप्ति संख्या : 030919230177<br>स्थायी | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की PCFC/GAD/BAS/2012/0047<br>राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु वेतनपुर्जा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारी के वेतन/अवकाश वेतन की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।<br>वेतनमान : LEVEL-11 (67,700-208,700)<br>वेतनवृद्धि की देय तिथि : 01-जुलाई<br>कुल पृष्ठ : 1    कुल कंडिका : 2<br>उपलब्ध उपार्जित अवकाश : |

महत्वपूर्ण : यह वेतनपुर्जा कम्प्यूटरीकृत है और इसमें किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं है। यह वेतनपुर्जा प्राधिकृत कोषागार के लिए ही मान्य होगा। वेतन निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यह वेतनपुर्जा तभी तक अनुमान्य होगा जब तक पदाधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर कार्यरत रहेंगे।

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| तिथि से | 26/6/19 | 1/7/19 |
| मूल वेतन | 83,300 | 85,800 |
| मंह.वे. | 0 | 0 |
| मंह.भ. | 9,996 | 10,296 |
| चि.भ. | 1,000 | 1,000 |
| म.कि.भ. | 13,328 | 13,728 |
| परि.भ. | 4,000 | 4,000 |
| परि. मंह.भ. | 480 | 480 |
| End Of Row | | |
| कुल वेतन | 112,104 | 115,304 |

राशि शब्दों में :

1. Rupees One Lac Twelve Thousand One Hundred Four Only
2. Rupees One Lac Fifteen Thousand Three Hundred Four Only

अनुलग्नक

अभ्युक्ति :
पूर्व निर्गत वेतन पुर्जा को इस हद तक संशोधित समझा जाय, शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन पुर्जा निर्गत।

वेतनपुर्जा निर्गत किया जाता है:    पटना सिंचाई भवन

कोषागार पदा०/ उप-कोषागार पदा०

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा०

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

वेतन पुर्जा संख्या: 14101923021677    प्राप्ति संख्या : 030919230177

सेवा में,

महायकनिदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार पटना

प्राधिकृत पदाधिकारी



नोट :-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन पुर्जा की प्रतिलिपि प्रति संबंधित पदाधिकारी को हस्तगत कराएं।

नोट :-अवकाश स्वीकृति के पूर्व बिहार सेवा संहिता के भाग-II परिशिष्ट 9 भाग 4 के नियम 18 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुराना सचिवालय, पटना-800 015, बिहार, फोन नं०: 0612-2217228, ईमेल: payslipsection@gmail.com

# बिहार सरकार (Govt. of Bihar)

## वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग (Finance (P.C.F.C.) Department)

| | |
|---|---|
| श्री सुधीर कुमार<br>पदनाम:उप सचिव<br><br>पता:- योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना<br><br>वेतन पुर्जा संख्या: 11091923020355    प्राति संख्या : 250719230141<br>स्थायी | पदाधिकारी प्रति    PCFC/GAD/BAS/2013/0405<br>राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु वेतनपुर्जा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारी के वेतन/अवकाश वेतन की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।<br>वेतनमान : LEVEL-11 (67,700-208,700)<br>वेतनवृद्धि की देय तिथि : 01-जुलाई<br>कुल पृष्ठ : 1    कुल कंडिका : 7<br>उपलब्ध उपार्जित अवकाश : |

महत्वपूर्ण : यह वेतनपुर्जा कम्प्यूटरीकृत है और इसमें किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं है। यह वेतनपुर्जा प्राधिकृत कोषागार के लिए ही मान्य होगा। वेतन निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यह वेतनपुर्जा तभी तक अनुमान्य होगा जबतक पदाधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर कार्यरत रहें

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिथि से | 1/4/17 | 1/7/17 | 1/1/18 | 8/5/18 | 1/7/18 | 1/1/19 | 1/7/19 |
| मूल वेतन | 76,200 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 80,900 | 80,900 | 83,300 |
| मंह.वे. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मंह.भ. | 3,048 | 3,925 | 5,495 | 5,495 | 7,281 | 9,708 | 9,996 |
| चि.भ. | 200 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| म.कि.भ. | | | | 12,560 | 12,944 | 12,944 | 13,328 |
| परि.भ. | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| परि. मंह.भ. | | | | 280 | 360 | 480 | 480 |
| कुल वेतन | 79,448 | 82,625 | 84,995 | 101,835 | 106,485 | 109,032 | 112,104 |

End Of Row

राशि शब्दों में :

1. Rupees Seventy Nine Thousand Four Hundred Forty Eight Only
2. Rupees Eighty Two Thousand Six Hundred Twenty Five Only
3. Rupees Eighty Four Thousand Nine Hundred Ninty Five Only
4. Rupees One Lac One Thousand Eight Hundred Thirty Five Only
5. Rupees One Lac Six Thousand Four Hundred Eighty Five Only
6. Rupees One Lac Nine Thousand Thirty Two Only
7. Rupees One Lac Twelve Thousand One Hundred Four

अनुलग्नक :

वेतनपुर्जा निर्गत किया जाता है:    पटना सिंचाई भवन

1. कोषागार पदा०/ उप-कोषागार पदा०
2. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा०

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी    प्राति संख्या :

11091923020355    250719230141

उप निदेशक

योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना

अभ्युक्ति :

पूर्व निर्गत वेतन पुर्जा को इस हद तक संशोधित समझा जाय।, वेतन सं0-07061323011721 के आधार पर पूर्व में वसूली की गई राशि संपुष्टि के उपरांत ही इस वेतन पुर्जा के आधार पर बकाया राशि के भु की कारवाई की जाय।, वित्त विभाग का अधिसूचना सं0-8921 दिन 07-12-18 के आलोक में संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत ,

11/9/19

प्राधिकृत पदा



भाग -4 के नियम -18 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ... पूर्व बिहार सेवा संहिता के भाग-II परिशिष्ट

... पटना 800 015, बिहार, फोन नं०: 0612-2217228, ईमेल: payslipsection@gma